



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 31, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

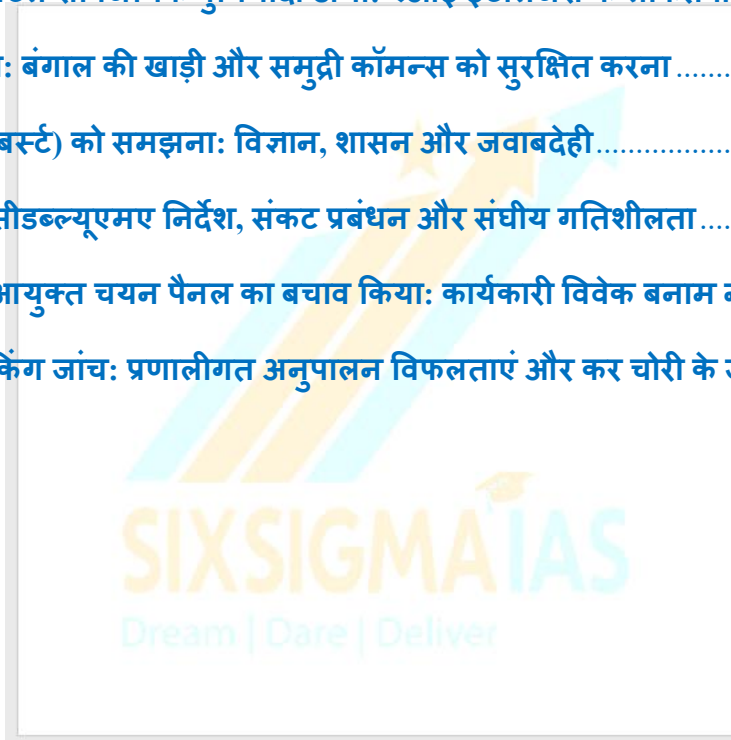


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. पैलेट गन और कानून प्रवर्तन: भीड़ नियंत्रण और मानवाधिकारों के बीच संतुलन	2
2. पीएम केयर्स फंड पारदर्शिता बहस और जवाबदेही चुनौतियां	4
3. कावेरी जल विवाद और सीडब्ल्यूएमए द्वारा जल छोड़ने के आदेश को बरकरार रखना	5
4. असम बाढ़ राहत पैकेज और आपदा प्रबंधन ढांचा	7
5. पीएम-श्री योजना पर केरल के यूडीएफ का रुख और राजकोषीय-संघीय गतिशीलता	8
6. बायोफार्मास्युटिकल अपशिष्ट जल उपचार के लिए बीट्स पिलानी की कम ऊर्जा प्रणाली	10
7. भारत का अगला डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा: एआई इंटेलिजेंस के लोकतंत्रीकरण का मामला	11
8. भारत का 'शांति' ढांचा: बंगाल की खाड़ी और समुद्री कॉमन्स को सुरक्षित करना	13
9. बादल फटना (क्लाउडबर्स्ट) को समझना: विज्ञान, शासन और जवाबदेही	14
10. कावेरी जल विवाद: सीडब्ल्यूएमए निर्देश, संकट प्रबंधन और संघीय गतिशीलता	16
11. केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त चयन पैनल का बचाव किया: कार्यकारी विवेक बनाम न्यायिक जांच	17
12. जेएंडके बैंक पैन-लिंगिंग जांच: प्रणालीगत अनुपालन विफलताएं और कर चोरी के जोखिम	19



1. पैलेट गन और कानून प्रवर्तन: भीड़ नियंत्रण और मानवाधिकारों के बीच संतुलन

मुख्य बातें और सारांश

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि पुलिस द्वारा असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का उपयोग नागरिक विरोध प्रदर्शनों को तितर-बितर करने के लिए क्रमिक पुलिस कार्रवाई (ग्रेडेड पुलिस रिस्पांस) का हिस्सा है, साथ ही इसने इसके पूर्ण प्रतिबंध से इनकार कर दिया।
- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को छात्र और नागरिक विरोध प्रदर्शनों से क्रूरता के बजाय अहिंसा और संयम के साथ निपटना चाहिए।

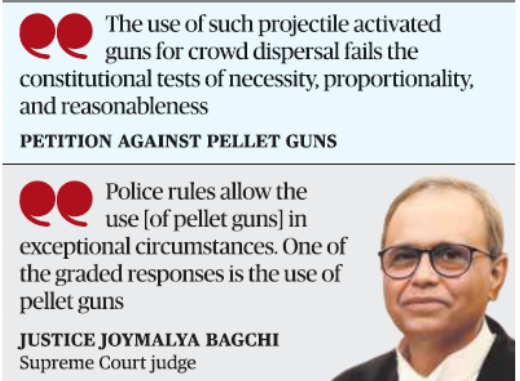
- पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और पैलेट चोट के पीड़ितों द्वारा दायर याचिका में यह तर्क दिया गया था कि प्रोजेक्टाइल-एक्टिवेटेड गन (PAGs) आवश्यकता, आनुपातिकता और औचित्य के संवैधानिक परीक्षणों में खरी नहीं उतरती हैं।
- शीर्ष अदालत ने पैलेट गन की तैनाती पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय उनके कथित मनमाने या अंधाधुंध उपयोग की विशेष घटनाओं की जांच करना उचित समझा।
- न्यायपालिका ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि किस प्रकार अवांछित तत्व वास्तविक छात्र प्रदर्शनों का फायदा उठा सकते हैं, जिससे शांतिपूर्ण सभाएं हिंसा के चक्र में बदल सकती हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **पैलेट गन:** एक गैर-घातक या कम-घातक हथियार जो एक क्षेत्र में कई धात्विक या सीसे के छर्रे छोड़ता है, जिसका उद्देश्य घातक चोटों के बिना भीड़ को अक्षम करना है, हालांकि इसके परिणामस्वरूप अक्सर गंभीर आघात, अंधापन और स्थायी विकलांगता होती है।
- **ग्रेडेड रिस्पांस (क्रमिक प्रतिक्रिया):** कानून प्रवर्तन कार्रवाइयों का एक मानकीकृत प्रोटोकॉल जो उत्तरोत्तर बढ़ता है—मौखिक चेतावनियों, वाटर कैनन और आंसू गैस से शुरू होकर गैर-घातक प्रोजेक्टाइल और केवल अंतिम उपाय के रूप में घातक बल तक जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार):** मानवीय गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जो नागरिक आबादी पर काइनेटिक इम्पैक्ट प्रोजेक्टाइल के अंधाधुंध उपयोग से गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकता है।
- **आनुपातिकता का सिद्धांत (Doctrine of Proportionality):** एक प्रमुख प्रशासनिक और संवैधानिक सिद्धांत जो यह तय करता है कि राज्य की कार्रवाई और पुलिस बल उस हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो किसी वैध उद्देश्य (जैसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना) को प्राप्त करने के लिए सख्ती से आवश्यक है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानक:** कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल और हथियारों के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र के मूल सिद्धांत यह निर्देश देते हैं कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बल प्रयोग करने से पहले अहिंसक साधनों का उपयोग करना चाहिए और आत्मरक्षा या मृत्यु के आसन्न खतरे या गंभीर चोट के खिलाफ दूसरों की रक्षा के लिए ही हथियारों का उपयोग करना चाहिए।



निष्कर्ष

पैलेट गन के आसपास की बहस संवैधानिक लोकतंत्रों में राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को मौलिक मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित करने की निरंतर चुनौती को रेखांकित करती है। हालांकि न्यायपालिका अत्यधिक सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी के दौरान क्रमिक सामरिक प्रतिक्रियाओं की उपयोगिता को स्वीकार करती है, लेकिन प्रवर्तन एजेंसियों के लिए गंभीर चोटों को रोकने और जीवन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों, पूर्ण आवश्यकता और सख्त आनुपातिकता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह मुद्दा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II (भारतीय संविधान, शासन, राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय) और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां पैदा करने में राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका, और कानून व्यवस्था का रखरखाव) के अंतर्गत अत्यधिक प्रासंगिक है। यह सीधे तौर पर पुलिस सुधारों, मानवाधिकार न्यायशास्त्र, संवैधानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग और लोकतंत्र में नागरिक विरोध प्रदर्शनों के प्रबंधन की एक आकांक्षी की समझ का परीक्षण करता है।

2. पीएम केयर्स फंड पारदर्शिता बहस और जवाबदेही चुनौतियां

मुख्य बातें और सारांश

- कार्यकर्ताओं और पारदर्शिता अधिवक्ताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की है क्योंकि प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत (पीएम केयर्स) फंड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से सार्वजनिक ऑडिट विवरण रोक रखे हैं।
- मार्च 2020 में COVID-19 जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित, फंड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसे पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑडिट वित्तीय विवरणों से पता चला कि 31 मार्च, 2023 तक ₹5415.65 करोड़ का शुरुआती बैलेंस, ₹909.64 करोड़ का स्वैच्छिक योगदान, ₹6723.07 करोड़ की कुल प्राप्तियां, ₹439.38 करोड़ के कुल भुगतान और ₹6283.68 करोड़ का समापन बैलेंस था।
- पारदर्शिता कार्यकर्ताओं का तर्क है कि फंड को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने के रूप में प्रस्तुत किया गया था—जिसमें सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से योगदान दे रहे थे—जिससे यह व्यवहार में एक सार्वजनिक प्राधिकरण की तरह काम कर रहा था।
- आलोचकों इस बात पर जोर देते हैं कि पीएम केयर्स सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, संसदीय जांच और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा ऑडिट के सीधे दायरे से बाहर है, जिससे संस्थागत जवाबदेही पर बहस छिड़ गई है।
- पूर्व सूचना आयुक्तों और पारदर्शिता अधिवक्ताओं का तर्क है कि चूंकि ट्रस्टी लोक सेवकों के रूप में कार्य करने वाले केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए प्रधान मंत्री से जुड़ी किसी भी इकाई को स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक जांच के लिए खुला होना चाहिए।



आवश्यक परिभाषाएं

- पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट (सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट):** ट्रस्ट कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त एक कानूनी व्यवस्था जहां संपत्ति को जनता या उसके विशिष्ट अनुभाग के लाभ के लिए आयोजित और प्रबंधित करने के लिए

ट्रस्टियों को हस्तांतरित किया जाता है, जिसका उद्देश्य गरीबी राहत, शिक्षा, चिकित्सा राहत या सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है।

- **सूचना का अधिकार (RTI):** भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए सशक्त बनाने वाला एक वैधानिक अधिकार, जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** धारा 2(h) में एक सार्वजनिक प्राधिकरण में संविधान द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, या उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित किसी भी निकाय को शामिल किया गया है। मुख्य कानूनी विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या पीएम केयर्स इस प्रावधान के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में योग्य है।
- **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971:** सरकारी फंडों, निकायों और सार्वजनिक राजस्व द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित प्राधिकरणों पर सीएजी के ऑडिट जनादेश को नियंत्रित करता है।
- **अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र से यह संकेत मिलता है कि जानने का अधिकार और शासन में पारदर्शिता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग हैं, जो संस्थागत जवाबदेही के तर्क को मजबूत करते हैं।

निष्कर्ष

पीएम केयर्स फंड द्वारा ऑडिट विवरणों को लगातार रोकना एक लोकतंत्र में विवेकी आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और वैधानिक जवाबदेही ढांचों के बीच महत्वपूर्ण तनाव को उजागर करता है। जबकि ऐसे ट्रस्ट संकट के दौरान संसाधनों के तेजी से जुटाव की सुविधा प्रदान करते हैं, उनकी शासन संरचनाओं को स्थापित पारदर्शिता मानदंडों, आरटीआई निगरानी और स्वतंत्र सीएजी ऑडिट के साथ संरेखित करना सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने और लोकतांत्रिक जवाबदेही को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II (भारतीय संविधान, राजव्यवस्था, शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और वैधानिक/नियामक निकाय) के अंतर्गत अत्यधिक प्रासंगिक है। यह संकट के दौरान कार्यकारी दक्षता और प्रशासनिक पारदर्शिता, सार्वजनिक लेखा परीक्षा और सूचना के अधिकार के बुनियादी सिद्धांतों के बीच संतुलन का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण केस-स्टडी सामग्री प्रदान करता है।

3. कावेरी जल विवाद और सीडब्ल्यूएमए द्वारा जल छोड़ने के आदेश को बरकरार रखना

मुख्य बातें और सारांश

- कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

- सीडब्ल्यूएमए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के अनुसार पानी छोड़ने के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अधिकृत शीर्ष निकाय है।
- कर्नाटक ने सुपर अल नीनो प्रभाव के कारण कावेरी बेसिन में अपने चार प्रमुख जलाशयों में तीव्र जल संकट और 65.65% की संचयी इनफ्लो कमी का हवाला देते हुए इस निर्देश को चुनौती दी।
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आदेश को रोककर रखने की अपनी अपील के खारिज होने के बाद कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई।
- यह विवाद मानसून की कमी के कारण कृषि और पीने के पानी की जरूरतों पर दबाव डालने वाले संकट के वर्षों के दौरान न्यायसंगत जल बंटवारे को लेकर रिपेरियन (तटीय) राज्यों के बीच लंबे समय से चली आ रही संघीय घर्षण को उजागर करता है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **रिपेरियन स्टेट (तटीय राज्य):** एक राज्य या प्रशासनिक इकाई जिसके माध्यम से या जिसके साथ एक प्राकृतिक जलमार्ग, जैसे कि एक नदी, बहती है या स्थित है, इसके पानी के उपयोग के संबंध में कानूनी अधिकार और दावे स्थापित करती है।
- **क्यूसेक:** पानी की प्रवाह दर की एक इकाई जो प्रति सेकंड एक घन फीट पानी का प्रतिनिधित्व करती है, जो लगभग 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारत के संविधान का अनुच्छेद 262:** संसद को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णय के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार देता है।
- **अंतर राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956:** राज्यों के बीच जल विवादों के न्यायनिर्णय के लिए तदर्थ न्यायाधिकरणों के गठन का प्रावधान करने के लिए अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित किया गया, जिसके तहत कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी।
- **सर्वोच्च न्यायालय का ढांचा (2018 का फैसला):** शीर्ष अदालत ने पानी को एक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और निरंतर निगरानी के लिए सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी के निर्माण का निर्देश देते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी के पानी के आवंटन को अंतिम रूप दिया।

निष्कर्ष

कावेरी जल बंटवारा विवाद भारत में अंतर-राज्यीय नदी प्रबंधन के आसपास की जटिल शासन चुनौतियों का उदाहरण देता है, विशेष रूप से अल नीनो जैसी मौसम संबंधी अनियमितताओं के दौरान। जबकि सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी जैसे वैधानिक तंत्र तकनीकी मूल्यांकन के लिए संस्थागत मंच प्रदान करते हैं, स्थायी समाधान के लिए सहकारी संघवाद, उन्नत जल-उपयोग दक्षता और गतिशील संकट-साझाकरण सूत्रों की आवश्यकता होती है जो रिपेरियन राज्यों की प्रतिस्पर्धी कृषि संबंधी जरूरतों को संतुलित करते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II (अंतर-राज्यीय संबंध, संघवाद, वैधानिक और नियामक निकाय, और न्यायिक घोषणाएं) और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (जल संसाधन प्रबंधन, बुनियादी ढांचा और आपदा प्रबंधन) के अंतर्गत अत्यधिक प्रासंगिक है। यह संसाधन संघर्षों को हल करने के लिए संवैधानिक तंत्र और सहकारी संघवाद की बारीकियों के बारे में एक आकांक्षी की समझ का परीक्षण करता है।

4. असम बाढ़ राहत पैकेज और आपदा प्रबंधन ढांचा

मुख्य बातें और सारांश

- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अभूतपूर्व बाढ़ के बाद राहत, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए केंद्र से एक समर्पित सहायता पैकेज की मांग की, जिसमें 78 लोगों की जान चली गई और 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए।
- यह मांग अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT) के समक्ष रखी गई, जिसने शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट सहित बाढ़ से तबाह हुए ऊपरी असम के जिलों के अपने चार दिवसीय जमीनी आकलन दौरे को पूरा किया।
- राज्य सरकार ने केंद्र से ऊपरी असम की आपदा को एक असामान्य, उच्च-तीव्रता, तेजी से शुरू होने वाली घटना के रूप में पहचानने का आग्रह किया, जिसमें क्षति के आकलन और वित्तीय सहायता के लिए लचीले मानदंडों का अनुरोध किया गया।
- असम ने प्रभावित परिवारों को आवास, बुनियादी ढांचे और आजीविका के लिए परेशानी मुक्त सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रलेखन और पात्रता मानदंडों में ढील देने की मांग की।
- चल रहा संकट ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों में आवर्ती वार्षिक कमजोरियों को उजागर करता है, जिसके लिए आपदा शमन के लिए मजबूत संरचनात्मक और वित्तीय तंत्र की आवश्यकता होती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- रैपिड-ऑनसेट डिजास्टर (अचानक आने वाली आपदा):** एक ऐसा खतरा जो जल्दी या अप्रत्याशित रूप से उभरता है, जैसे कि अचानक बाढ़, गंभीर नदी बाढ़, या बादल फटना, जिससे अग्रिम चेतावनी या निकासी के लिए बहुत कम या कोई समय नहीं बचता है।
- राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF):** आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत के लिए राज्य सरकारों के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच साझा योगदान के साथ गठित किया गया है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा



- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भारत में आपदा प्रबंधन के संस्थागत सेटअप के लिए कानूनी वास्तुकला प्रदान करता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्थापना करता है।
- **वित्त आयोग की सिफारिशें:** राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के लिए आवंटन, वर्गीकरण और उपयोग के दिशानिर्देशों को नियंत्रित करता है, गंभीर आपदाओं के दौरान केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए मानदंडों का निर्धारण करता है।
- **संविधान की सातवीं अनुसूची:** सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल निकासी और तटबंध मुख्य रूप से राज्य सूची (प्रविष्टि 6) के अंतर्गत आते हैं, जबकि आपदा प्रबंधन समवर्ती परिचालन उत्तरियों में फैला हुआ है जिसके लिए सक्रिय केंद्र-राज्य राजकोषीय और प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

असम में बार-बार आने वाली आपदा प्रतिक्रियाशील राहत की सीमाओं को रेखांकित करती है और दीर्घकालिक संरचनात्मक लचीलापन, व्यापक बाढ़ पूर्वानुमान और लचीले वित्तीय ढांचों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करती है। जबकि विशेष टीमों के माध्यम से केंद्रीय सहायता तत्काल राजकोषीय कुशन प्रदान करती है, स्थायी शमन के लिए अचानक होने वाली जलवायु आपदाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एकीकृत बेसिन-व्यापी जल प्रबंधन और प्रशासनिक अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता होती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

यह विषय यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (आपदा प्रबंधन, शमन रणनीतियां, और बाढ़ का प्रबंधन) और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II (केंद्र-राज्य संबंध और संघीय शासन) के अंतर्गत अत्यधिक प्रासंगिक है। यह आपदा वित्तपोषण, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संस्थागत तंत्र और कमजोर क्षेत्रों में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की प्रशासनिक चुनौतियों में आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

5. पीएम-श्री योजना पर केरल के यूडीएफ का रुख और राजकोषीय-संघीय गतिशीलता

मुख्य बातें और सारांश

- **पीएम-श्री पर नीतिगत बदलाव:** केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) से जुड़े एक घटक, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना के अपने विरोध को संशोधित किया है।
- **संघीय निधि का तर्क:** यह बदलाव स्कूली शिक्षा को बनाए रखने के लिए केंद्र के वित्तीय अनुदानों की राज्य की तत्काल आवश्यकता से प्रेरित था, जिसमें नेताओं का तर्क था कि राजकोषीय दायित्वों के कारण कोई भी सरकार पूर्ववर्तियों की प्रतिबद्धताओं को आसानी से उलट नहीं सकती है।
- **राजनीतिक आरोप:** यूडीएफ संयोजक अदूर प्रकाश ने सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) पर पाखंड का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पिछली एलडीएफ सरकार ने व्यापक परामर्श के बिना केंद्र के साथ चुपचाप एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे।

- **भगवाकरण पर विवाद:** जहां एलडीएफ ने पहले शिक्षा के वैचारिक भगवाकरण का हवाला देते हुए योजना का विरोध किया था, वहीं यूडीएफ ने तर्क दिया कि यह विरोध एक राजनीतिक आवरण था।
- **शासन में निरंतरता:** यह एपिसोड उस प्रशासनिक दुविधा को उजागर करता है जहां आने वाली या मौजूदा राजनीतिक गठबंधनों को संघ सरकार पर व्यावहारिक वित्तीय निर्भरता के साथ वैचारिक विरोध को संतुलित करना होगा।

आवश्यक परिभाषाएं

- **पीएम-श्री योजना:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत नीति कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए भारत भर के चुनिंदा सरकारी स्कूलों को उन्नत बनाने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित योजना।
- **केंद्र प्रायोजित योजना (CSS):** केंद्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से वित्त पोषण किए जाने वाले विभिन्न लागत-साझाकरण अनुपातों के साथ राज्यों या उनकी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित सार्वजनिक कल्याण पहल।
- **राजकोषीय संघवाद:** सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंध और राजस्व जुटाने तथा व्यय जिम्मेदारियों का विभाजन, मुख्य रूप से भारतीय संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची:** शिक्षा समवर्ती सूची (सूची III की प्रविष्टि 25) के अंतर्गत आती है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को कानून बनाने का अधिकार देती है, हालांकि वित्त पोषण द्वारा समर्थित केंद्रीय नीतियां अक्सर राज्य के कार्यान्वयन पर मजबूत प्रेरक दबाव डालती हैं।
- **अनुच्छेद 282:** संघ या किसी राज्य को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही वह उद्देश्य संसद या राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता के भीतर न हो, जो राज्यों को सशर्त केंद्रीय अनुदान के लिए कानूनी आधार बनता है।
- **निधि की शर्तें (कंडीशनलिटी):** केंद्र सरकार अक्सर राज्यों को राष्ट्रीय सुधार एजेंडे को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से सशर्त अनुदान का उपयोग करती है, जो कभी-कभी प्रशासनिक स्वायत्तता पर केंद्र-राज्य के बीच टकराव को जन्म देता है।

निष्कर्ष

केरल में राजनीतिक रस्साकशी क्षेत्रीय राजनीतिक स्वायत्तता, वैचारिक विरोध और केंद्रीय हस्तांतरण पर वित्तीय निर्भरता के बीच जटिल संतुलन को रेखांकित करती है। हालांकि राज्यों के पास केंद्रीय नीति थोपने के संबंध में वैध चिंताएं हैं, लेकिन राजकोषीय आवश्यकताएं अक्सर व्यावहारिक संरक्षण को मजबूर करती हैं, जो भारतीय सहकारी और बलपूर्वक संघवाद की संरचनात्मक वास्तविकताओं को उजागर करती हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II:** संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, शक्तियों और वित्त का स्थानीय स्तर तक विकेंद्रीकरण और उसमें चुनौतियां।
- **राजव्यवस्था और शासन:** केंद्र-राज्य संबंध, केंद्रीय नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन, और शिक्षा में सहकारी संघवाद की गतिशीलता।

6. बायोफार्मास्युटिकल अपशिष्ट जल उपचार के लिए बीट्स पिलानी की कम ऊर्जा प्रणाली

मुख्य बातें और सारांश

- **नवीन तकनीक:** बीट्स पिलानी, हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने पुनः प्रयोज्य पानी और मीथेन-समृद्ध बायोगैस को पुनर्प्राप्त करते हुए बायोफार्मास्युटिकल अपशिष्ट जल को कीटाणुरहित करने के लिए एक कम-ऊर्जा, एकीकृत तीन-चरण उपचार प्रणाली विकसित की है।
- **सहयोग और समर्थन:** जैविक ई. लिमिटेड के साथ साझेदारी में औद्योगिक तैनाती की ओर प्रयोगशाला-स्तरीय तकनीक आगे बढ़ रही है, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) से वित्त पोषण और समर्थन प्राप्त है।
- **प्रमुख अपशिष्ट चुनौतियों का समाधान:** बायोफार्मास्युटिकल अपशिष्ट जल में लाइव उत्पादन सूक्ष्मजीवों, अवशिष्ट एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का उच्च भार होता है, जिससे रासायनिक तरीकों या स्टीम ऑटोक्लेविंग के माध्यम से पारंपरिक उपचार बेहद ऊर्जा-सघन और महंगा हो जाता है।
- **एकीकृत तंत्र:** नई पेटेंट प्राप्त मुख्य कीटाणुशोधन तकनीक जैव सुरक्षा जोखिमों को कुशलतापूर्वक समाप्त करते हुए जैविक उपचार और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के साथ संयुक्त रूप से कीटाणुशोधन के लिए विद्युत दालों का उपयोग करती है।
- **मुख्य अनुसंधान टीम:** जैविक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शंकर गणेश पिलानी के नेतृत्व में, प्रोफेसर मिथुन मंडल और अनुसंधान विद्वान रवींद्र ज्ञानेश्वर कुलाल के साथ।

आवश्यक परिभाषाएं

- **बायोफार्मास्युटिकल अपशिष्ट जल:** फार्मास्युटिकल उद्योगों में किण्वन और उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्पन्न अपशिष्ट जिसमें आमतौर पर जीवित माइक्रोबियल भार, जटिल कार्बनिक यौगिक और फार्मास्युटिकल अवशेष शामिल होते हैं।
- **एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स (ARGs):** आनुवंशिक तत्व जो एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जिन्हें यदि अनुपचारित जल निकायों में छोड़ा जाता है, तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) में तेजी लाकर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा पैदा होता है।
- **बायोगैस ऊर्जा पुनर्प्राप्ति:** कार्बनिक पदार्थों के एनारोबिक पाचन के माध्यम से उत्पादित मीथेन-समृद्ध गैसों का कैप्चर और उपयोग, औद्योगिक कचरे को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में बदलना।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974:** अपशिष्ट जल के निर्वहन मानकों को विनियमित करने और औद्योगिक स्रोतों से जल प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना करने वाला प्राथमिक विधायी अधिनियम।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** केंद्र सरकार को फार्मास्युटिकल कचरा प्रबंधन दिशानिर्देशों सहित उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन और निर्वहन के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है।

- **अनुच्छेद 21 (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार):** भारत के संविधान के तहत जीवन के अधिकार की न्यायिक व्याख्याओं के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को अनिवार्य बनाया गया है, जो निर्वहन से पहले खतरनाक अपशिष्ट जल का इलाज करने के लिए उद्योगों पर सख्त कानूनी कर्तव्य रखता है।

निष्कर्ष

कम ऊर्जा वाले बायोफार्मास्युटिकल अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली का विकास टिकाऊ औद्योगिक इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के साथ विद्युत कीटाणुशोधन को सफलतापूर्वक मिलाकर, यह नवाचार रोगाणुरोधी प्रतिरोध जैसे गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को संबोधित करता है और साथ ही औद्योगिक अनुपालन के आर्थिक और कार्बन पदचिह्न को कम करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग।
- **शासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य:** खतरनाक औद्योगिक अपशिष्टों का प्रबंधन, बेहतर पर्यावरण नियंत्रण के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से निपटना, और स्वदेशी अनुसंधान तथा उद्योग-अकादमिया सहयोग को बढ़ावा देना।

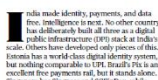
7. भारत का अगला डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा: एआई इंटेलिजेंस के लोकतंत्रीकरण का मामला

मुख्य बातें और सारांश

- **बुनियादी ढांचे का दृष्टिकोण:** भारत ने पहचान, भुगतान और डेटा में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के तीन स्तंभों को सफलतापूर्वक बनाया है, और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनी चौथी बुनियादी यूटिलिटी के रूप में होना चाहिए।
- **एक्सट्रैक्टिव ट्रेड ट्रेप:** वैश्विक एआई अर्थव्यवस्था वर्तमान में ऐतिहासिक औपनिवेशिक व्यापार पैटर्न को दर्शाती है जहां भारत कच्चे डेटा, प्रतिभा और कम्प्यूटेशनल श्रम का निर्यात करता है, और केवल महंगे, डॉलर-मूल्य वाले एपीआई टोकन के रूप में तैयार इंटेलिजेंस को वापस आयात करता है।
- **एआई टोकन अर्थव्यवस्था के स्तंभ:** प्रस्तावित राष्ट्रीय ढांचा इंडियाएआई मिशन के माध्यम से भारी जीपीयू एकीकरण पर निर्भर करता है, राष्ट्रीय ग्रिड नीतियों में कंप्यूट योजना को एकीकृत करता है, और मूलभूत मॉडल को ओपन-सोर्स सार्वजनिक सामान बनाता है।

- **यूनिफाइड इंटेलिजेंस इंटरफेस:** इन्फेंस तक पहुंच को लोकसंगीत बनाने के लिए एक यूपीआई-प्रेरित ओपन एपीआई गेटवे का प्रस्ताव करता है, जिससे किसी भी एप्लिकेशन को कम स्विचिंग लागत के साथ ओपन या सोवरेन मॉडल को निर्बाध रूप से कॉल करने की अनुमति मिलती है।
- **सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्रीकरण:** राज्य-समर्थित टोकन पात्रता के माध्यम से बुद्धिमत्ता को लगभग मुफ्त बनाना संज्ञान को सुलभ बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों का परिवर्तन होता है।

The next DPI — how India can commoditise AI



Srivatsa Krishna
IAS officer

India made identity, payments, and data free. Intelligence is next. No other country has deliberately built all three as a digital public infrastructure (DPI) stack at India's scale. Others have developed only pieces of this. Europe has a world-class digital identity system, but nothing comparable to UPI. Brazil's Pix is an excellent free payments rail, but it stands alone. Singapore has Singpass and SingPass, while Europe has open banking and data portability. India's genius lies in its unique combination, its distinctiveness is not any single component, but the integration of Aadhaar, the Unified Payments Interface (UPI), and DEPA/Account Aggregator as interoperable public digital rails.

Between September 2016 and 2018, the cost of a gigabyte in India fell from about \$4 to under \$0.2 cents, making it among the cheapest in the world. The result was not a telecom story. It was a cultural one. 500 million people came online in half a decade, powering India's digital economy such as payment volumes, the startup ecosystem, the direct benefit transfer reaching the last village. Aadhaar enabled 1 billion people and turned identity verification from an expensive paper process to a low-cost API call. UPI made digital payments effectively free, processing around 20 billion transactions a month at near zero cost. India made data free not by subsidizing it, but by letting open players absorb the fixed costs of a nationwide 4G network, price at marginal cost, and force every incumbent to match or die.

India should not be the capital move to the bottom which we would lose to hypercompetitors, and it is the intelligence equivalent of nationalizing the telecoms. India crashed the price of data by engineering conditions and competition. So, the target is inference, not training. Inference is down the cost of using a model. It reduced spectrum, created a demand shock, and let fierce competition do the rest. The state built the road and set the rules; the market crashed the price. A billion people came online not because data was gifted, but because its cost fell below the threshold of the thought. And the case for making it free — or at least close to free — is a global one. It is not unique. It is the same case, run on the same playbook that worked three times before.

This is the model India should now apply to its fourth rail: intelligence. Intelligence free, intelligence is no longer a luxury software product; it is foundational infrastructure. The trade running against India: The global artificial intelligence (AI) race is currently operating under an extractive economic model, and India — despite its immense demographic dividend — is on the losing side of the race. India serves as the world's digital

infrastructure — languages, documents, transactions, behavior — because training data. Its universities and diaspora furnish a disproportionate slice of the research talent behind every major laboratory. Each day, Indians generate vast data. Indian engineers build Silicon Valley's frontier models, and Indian workers label datasets to make them safer. Yet, Indian startups must rent that intelligence back as a dollar-priced API tokens, subject to export controls and housed on distant servers. India exports value, data, and usage, then imports the finished intelligence at high margins, per token prices on terms set in San Francisco. The pattern is familiar. Ship out the cotton, buy back the cloth. India recognized that trap in earlier centuries ago. It should recognize it in intelligence now.

India's national AI vision should be built on the following pillars. First, making intelligence free is a new computer power. Through the India AI Mission, backed by an outlay of about \$60,172 crore, the government is building a public-private partnership model — not a state-run data centre monopoly. By outsourcing private cloud providers and aggregating demand, it has slashed over 20,000 GPUs, with plans to scale to 1,00,000. High-end startups and researchers can access compute for about \$60 per GPU hour, a fraction of global market rates.

India's AI planning does not yet treat AI itself as a category. The single highest leverage intervention available to the government is being to fold compute into the National Electricity Plan, fast-track transmission to data centres, clusters, and dedicate renewable generation, including nuclear, to inference. The way it once dedicated coal linkages to steel, cheap electrons are the new cheap compute.

Second, cheap compute is useless without models to run on. Currently, the most capable foundation models are closed-source and owned by western tech giants. If Indian startups build their businesses on top of these proprietary APIs, they remain economically subservient. A single pricing change or policy shift in San Francisco can wipe out an entire sector in Bengaluru. India must mandate that foundational AI models be made public goods.

The government must leverage its most valuable asset: linguistic and demographic data. The state should aggregate an enormous public data (legal rulings, agricultural data, educational records) in 22 or more scheduled languages and make them available exclusively to Indian researchers building open-source models. Further, any AI model developed using state-subsidized compute or public datasets must be released under an open-weight license. This mirrors the US philosophy: the government builds the rails, makes the ground free, and lets

Language Models, India commoditizes the "intelligence" layer. When foundational models are free and open, the economic value shifts from the model creators to the application builders — exactly where India's strength lies.

Third, the unified intelligence interface (UI) or distribution. How does a rural farmer or a Tier-3 developer access this free intelligence? An API gateway built on the principles of UPI, a UPI for AI. UPI's genius was not free payments as such; it was interoperability. A common protocol for any app talk to any bank, and switching costs fell to zero. Intelligence needs the same: an open, standardized interface through which any application can call any model — sovereign or private, open or proprietary — with shared standards for identity, consent, billing and safety.

Just as UPI abstracts away the complexity of inter-bank transfers, a national AI gateway would abstract away the complexity of AI inference. Startups, government agencies, and educational institutions could plug into this gateway to access a suite of open-source models (translation, video, text generation) for fractions of a penny.

To kickstart the ecosystem, the government could offer a national "freemium" model. Verified Indian startups or students through Aadhaar-linked digital identity could get monthly free API credits, subsidised by the state. When startups scale and become profitable, they move to a commercial rate, paying double more for compute, which subsidises the free tier.

Additionally, a smattering of the further subsidy could be diverted to tokens for research and development institutions and schools. When intelligence becomes nearly free, sectors constrained by scarce human capital transform. A rural doctor, aided by AI trained in Indian dialects, can treat more patients with fewer errors. India's 200 million under-25s, personalised AI tutors in local dialects, a Karnataka farmer can settle a crop insurance claim by voice in Kannada, with AI accessing land records.

The next great equalizer: In sum, free identity and cheap data did not make Indians rich; they made mass participation factories. Free intelligence can do the same. Nobody foresaw that near-free data would create the world's largest payments engine, short-video platforms, and QR-code vegetable vendors.

Free intelligence could be just as generative. If the state primes it with tech conferences for students and teachers, citizen services in local languages, and affordable tools for 60 million small businesses, India's leadership in the AI economy is contingent on developing an open-source ecosystem with open weights would match models that expect competition, choice, opportunities and innovation. The goal is not better subsidies. It is making cognition no longer a

आवश्यक परिभाषाएं

- **डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI):** खुले मानकों पर निर्मित सुरक्षित, इंटरऑपरेबल और बुनियादी डिजिटल प्रणालियां जो जनसंख्या पैमाने पर सार्वजनिक और निजी सेवा वितरण को सक्षम करती हैं।
- **अकाउंट एग्रीगेटर (DEPA):** डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर ढांचा जो व्यक्तियों को सहमति के साथ वित्तीय और डिजिटल संस्थानों में अपने डेटा को सहज और सुरक्षित रूप से साझा करने की अनुमति देता है।
- **इन्फेंस (Inference):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता में वह चरण जहां नए डेटा को संसाधित करने और वास्तविक दुनिया की भविष्यवाणी या आउटपुट उत्पन्न करने के लिए एक प्रशिक्षित मॉडल तैनात किया जाता है, जो एआई अनुप्रयोगों का प्राथमिक निरंतर लागत चालक बनता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21 (समानता और जीवन का अधिकार):** सार्वजनिक सेवा वितरण और बुनियादी राज्य संसाधनों तक समान पहुंच के लिए एआई का परिवर्तनकारी उपयोग एक गरिमापूर्ण जीवन और न्यायसंगत अवसरों के जनादेश पर आधारित है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** डेटा गोपनीयता, सुरक्षित प्रसंस्करण और सहमति प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे जो नियंत्रित करते हैं कि अज्ञात डेटासेट और एआई मॉडल नागरिक की जानकारी को कैसे संभालते हैं।
- **सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25:** संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान पर कानून बनाने का अधिकार देती है, जो सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में एआई को तैनात करने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करती है।

निष्कर्ष

पहचान, भुगतान और डेटा के साथ भारत की अग्रणी यात्रा साबित करती है कि बुनियादी उपयोगिताओं की लागत को कम करने से भारी आर्थिक और सभ्यतागत उत्पादकता अनलॉक होती है। प्रशिक्षण से इन्फेंस की ओर ध्यान स्थानांतरित करके, ओपन-वेट मॉडल को कमोडिटाइज करके, और कंप्यूट को बेसिक ग्रिड बुनियादी ढांचे के रूप में मानकर, भारत एक्सट्रैक्टिव ग्लोबल टेक निर्भरता से मुक्त हो सकता है और इंटेलिजेंस को एक सार्वभौमिक सार्वजनिक भलाई में बदल सकता है।

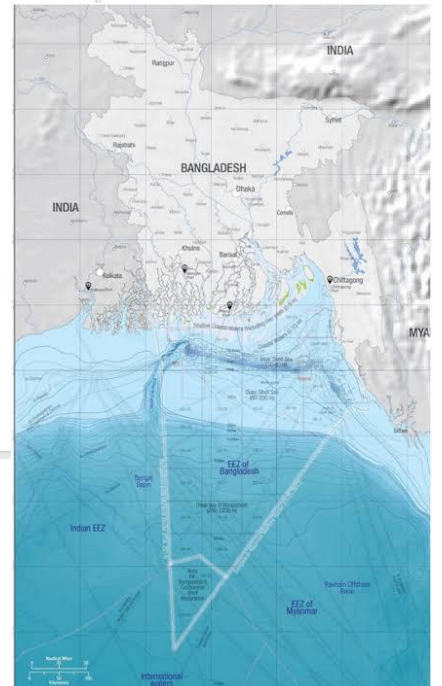
यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी-विकास और अनुप्रयोग और दैनिक जीवन; आईटी, कंप्यूटर और एआई के क्षेत्र में जागरूकता; डिजिटल बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था का प्रबंधन।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, साथ ही बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दे।

8. भारत का 'शांति' ढांचा: बंगाल की खाड़ी और समुद्री कॉमन्स को सुरक्षित करना

मुख्य बातें और सारांश

- **शांति का परिचय:** विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उम्मीदवारी शुरू करते हुए 'नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी के माध्यम से समग्र उन्नति सुरक्षित करना' (SHANTI) ढांचे की शुरुआत की।
- **समुद्री दृष्टिकोण का विकास:** शांति SAGAR (2015) और MAHASAGAR (2025) पर आधारित परिचालन व्याकरण के रूप में कार्य करती है, जो भारत के समुद्री दृष्टिकोण को केवल रणनीतिक इरादे और पहुंच से ठोस नियम-निर्माण और संस्थागत नियमों में बदलती है।
- **खाड़ी की रणनीतिक केंद्रीयता:** बंगाल की खाड़ी भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आसियान से जोड़ने, महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा लेन को जोड़ने और चीन की क्षेत्रीय उपस्थिति जैसे भू-राजनीतिक दबावों को प्रबंधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करती है।
- **गैर-पारंपरिक खतरों का समाधान:** यह ढांचा मांग-संचालित सहयोग के माध्यम से जलवायु-प्रेरित आपदाओं, अवैध मछली पकड़ने, साइबर कमजोरियों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों सहित सीमा पार की चुनौतियों को लक्षित करता है।
- **बिम्सटेक के माध्यम से परिचालन:** शांति के सिद्धांतों को नई दिल्ली में जुलाई 2026 की बिम्सटेक एनएसए बैठक में क्रियान्वित किया गया, जिसमें संयुक्त समुद्री कानून प्रवर्तन, आपदा राहत और आगामी संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभ्यास पर सहमति व्यक्त की गई।



आवश्यक परिभाषाएं

- **शांति ढांचा:** साझा समुद्री स्थानों को नियंत्रित करने के लिए मानदंडों, विश्वास और अखंडता के माध्यम से समग्र उन्नति सुरक्षित करने पर केंद्रित एक मानक विदेश नीति ढांचा।
- **सागर (SAGAR):** क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, हिंद महासागर में आर्थिक सहयोग और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2015 में भारत द्वारा शुरू की गई एक व्यापक समुद्री पहल।
- **ब्लू इकोनॉमी:** महासागर पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए महासागर संसाधनों का स्थायी उपयोग।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जो शांति जैसे बहुपक्षीय ढांचों के लिए दार्शनिक समर्थन प्रदान करता है।
- **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS):** समुद्री स्थानों पर अधिकार क्षेत्र स्थापित करने वाला अंतरराष्ट्रीय कानूनी शासन, जो इंडो-पैसिफिक में नियम-आधारित व्यवस्था और नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए भारत की वकालत को रेखांकित करता है।
- **बिस्मटेक चार्टर:** बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का संस्थापक कानूनी साधन जो तटीय और आसन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण और सुरक्षा सहयोग को संस्थागत बनाता है।

निष्कर्ष

शांति ढांचा पारंपरिक प्रतिरोध और संकट प्रबंधन से साझा कॉमन्स के सक्रिय शासन तक भारत की समुद्री कूटनीति में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है। बंगाल की खाड़ी को एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में उपयोग करके, भारत विश्वास और लचीलापन के आधार पर विश्वसनीय क्षेत्रीय आधिपत्य स्थापित कर सकता है, जो प्रभावी रूप से विखंडन का मुकाबला करता है और दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता को सुरक्षित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II:** द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते जिनमें भारत शामिल है और/या भारत के हितों को प्रभावित करते हैं; भारत की विदेश नीति, पड़ोस के संबंध और समुद्री सुरक्षा सिद्धांत।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, और नीली अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से संबंधित विकासात्मक मुद्दे।

9. बादल फटना (क्लाउडबस्ट) को समझना: विज्ञान, शासन और जवाबदेही

मुख्य बातें और सारांश

- **आईएमडी की परिभाषा:** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बादल फटना एक अत्यधिक स्थानीयकृत मौसम की घटना है जिसमें 20-30 वर्ग किमी के क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 10 सेमी या उससे अधिक वर्षा होती है।
- **गठन तंत्र:** बादल आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में तीव्र संवहन और ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के माध्यम से बनते हैं, जहां गर्म, नम हवा तेजी से ऊपर उठकर ऊंचे क्यूब्लोनिम्बस बादलों का निर्माण करती है और अचानक पतन से पहले भारी जल बूंदों को निलंबित रखती है।
- **पूर्वानुमान चुनौतियां:** छोटे स्थानिक पैमाने, तीव्र विकास, ऊबड़-खाबड़ इलाकों में घने निगरानी स्टेशनों की कमी और पहाड़ों द्वारा रडार अवरोधों के कारण बादलों के फटने का अनुमान लगाना बेहद कठिन है।

- **लेबल का दुरुपयोग:** मानवीय लापरवाही को छिपाने के लिए अधिकारी अक्सर भारी मूसलाधार बारिश को बादल फटने का नाम देते हैं, जिससे खराब योजना, नदी के किनारों पर अवैध निर्माण और अपर्याप्त जल निकासी के बुनियादी ढांचे से ध्यान भटक जाता है।

- **तकनीकी सुधार:** भारत 'नाकास्टिंग' और 'मिशन मौसम' पहल के माध्यम से अपनी आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है, जिसका उद्देश्य मौसम रडार नेटवर्क को दोगुना करना और हाइपरलोकल पूर्वानुमान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करना है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **बादल फटना (क्लाउडबर्स्ट):** 20-30 वर्ग किमी के एक छोटे भौगोलिक पदचिह्न पर प्रति घंटे 10 सेमी से अधिक की स्थानीय, अचानक और बहुत भारी वर्षा की घटना।
- **ओरोग्राफिक लिफ्टिंग:** वह प्रक्रिया जहां गर्म, नम हवा को पहाड़ी ढलानों जैसी ऊंची भूमि पर उठाने के लिए मजबूर किया जाता है, जो भारी वर्षा वाले बादलों का निर्माण करने के लिए तेजी से ठंडी और घनी होती है।
- **नाकास्टिंग:** बहुत कम अवधि के पैमाने पर मौसम का पूर्वानुमान, जो आमतौर पर कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक होता है, जिसका उपयोग तेजी से, स्थानीय चरम मौसम की चेतावनी जारी करने के लिए किया जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, जो आपदा-पूर्व जोखिम आकलन और शमन योजना को अनिवार्य बनाता है।
- **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार):** न्यायिक व्याख्या राज्य को नागरिकों को रोके जाने योग्य पर्यावरणीय खतरों से बचाने के लिए बाध्य करती है, जिससे संरचनात्मक विफलताओं और अवैध निर्माण के लिए जवाबदेही एक संवैधानिक अनिवार्यता बन जाती है।
- **बाढ़ और आकस्मिक बाढ़ के प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा जारी ये दिशानिर्देश शहरी और क्षेत्रीय अधिकारियों को कड़े भूमि-उपयोग ज़ोनिंग और लचीले बुनियादी ढांचे के मानदंडों को लागू करने का निर्देश देते हैं।

निष्कर्ष

जबकि बादल फटना वायुमंडलीय नमी और स्थलाकृति द्वारा संचालित प्रकृति के formidable कृत्य हैं, उनके विनाशकारी प्रभाव को अक्सर मानव-प्रेरित कमजोरियों द्वारा बढ़ाया जाता है। प्रशासनिक विमोचन के सुविधाजनक लेबलों से आगे बढ़कर मजबूत पूर्वानुमान, कठोर शहरी योजना और पारिस्थितिक संरक्षण में निवेश करके, भारत चरम मौसम की घटनाओं के विनाशकारी प्रभावों को बेहतर ढंग से कम कर सकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

How common are cloudbursts in India?

What counts as a cloudburst under the IMD's definition? How do they form over mountainous regions? Why are they so difficult to forecast? Can the term obscure the risk of poor planning, inadequate infrastructure? What is India doing to improve forecasting and early warnings?

EXPLAINER

Vandana Shrivastava

The story so far

It has a wall of water

suddenly crashes from

the sky and sweeps away

houses and roads within

minutes, one of the fiercest

monsoon events in India

known for its 'cloudbursts'.

However, the term is often

misused in a way that can

obscure the risk of poor

planning and crumbling

infrastructure.

What counts as a cloudburst?

According to the India Meteorological

Department (IMD), a cloudburst occurs

when a small area, around 20-30 sq. km,

receives 10 cm or more of rain in an hour.

To put this in perspective, India

receives 1,400 mm of rain every year on

average. A cloudburst could dump nearly

10% of this in 60 minutes.

How rains are a common feature of

the southwest monsoon, but a cloudburst

is an extraordinary amount of rainfall

and rare. Because the water falls so

quickly over a relatively small area, the

ground cannot absorb all of it, leading to

rapid and voluminous flooding.

Some scientists have also advocated for

a category called 'mini cloudburst' for 5

cm of rain in an hour over the same area,

as, depending on the local topography, this

can be devastating as well.

How common are cloudbursts in

India?

Although cloudbursts are relatively rare,

global warming is particularly so in the

atmosphere warm and can hold more

moisture, making them more frequent.

In response to a question, former

Union Earth Sciences Minister Hareesh

Varthanan told Parliament in 2019 that

between 1970 and 2016, the IMD had

recorded only around 20 such incidents.

However, many experts believe this

number is an undercount.

Counting them is not straightforward



Torrents unleashed after a cloudburst triggered flash floods, at Patnagarh in Arunachal Pradesh, on July 12, 2019.

because most cloudbursts occur in

remote, high-altitude regions, where rain

gauges and weather stations are sparse.

In fact, if a cloudburst occurs a few

kilometres from a monitoring station, it

may not be officially recorded as a

cloudburst even if it causes large-scale

destruction downstream.

Uttarakhand, Himachal Pradesh, and

Jammu and Kashmir have, of late,

reported a surge in events that locals have

described as cloudbursts, especially in

July and August.

How does a cloudburst form?

A cloudburst typically begins with

convection, when warm, moist air rises

rapidly into the atmosphere. In

mountainous areas, this is called

orographic lifting, where monsoon winds

are forced upwards by steep slopes.

As the air rises, it cools and condenses

into towering cumulonimbus clouds,

which can be up to 15 km tall.

Water droplets begin to form inside

these clouds and, as they get heavier, they

would normally fall as rain. However, if

the currents of warm air moving upwards

are very strong, they can keep raindrops

suspended in the air for longer.

Eventually, the weight of the water

droplets becomes too great for gravity

and the updrafts to hold, or the updrafts

weaken, sending the water plummeting

down like an ocean descending on the

ground.

Can the label obscure accountability?

By calling a heavy downpour a

'cloudburst', authorities can turn it into a

natural and unforeseeable act of nature,

obscuring the role of human negligence.

That is, if the cause of a tragedy is said

to be a 'cloudburst', the blame can be

written off, which is harder to do when

the real cause is 'heavy rain combined

with poor drainage'.

In 2018, during the Uttarakhand floods

in Uttarakhand, initial reports blamed a

cloudburst. However, meteorological data

later showed that the actual rate of

rainfall was much lower than the

threshold for a cloudburst.

The underlying cause were illegal

construction on riverbeds, deforestation

that had left soil vulnerable to erosion,

and the absence of drainage

infrastructure along new 'all weather'

roads.

Had the downpour indeed been a

cloudburst, officials may have been able

to avoid questions about why the State

had allowed buildings to be constructed

in high-risk zones and why early warning

systems failed.

Last week, the IMD rejected reports

THE GIST

that Assam and Nagaland had

experienced cloudbursts over the

preceding few days and that they were

responsible for the Upper Assam floods.

Are cloudbursts hard to forecast?

Cloudbursts are very difficult to forecast.

Meteorologists can usually say whether a

region is at risk of heavy rain but cannot

say precisely which patch of land will

experience a cloudburst.

First, most weather models study the

atmosphere in grids and estimate the

average weather for each cell.

A cloudburst, on the other hand,

occurs over an area smaller than the size

of each grid cell. To detect one, scientists

need very high-resolution models, which

in turn require immense computing

power that is not always readily available.

Because of the mechanism through

which cloudbursts form, they also

develop and occur quickly. Cyclones and

monsoon systems, on the other hand, can

be tracked for weeks or even months,

giving scientists more data to work with.

Finally, mountains are challenging

environments for weather monitoring,

and cloudbursts have a greater propensity

to occur there. For instance, despite

weather radar work by emitting and

receiving radar beams, which mountains

can block, creating blind spots over many

areas where cloudbursts are also more

common.

Because the terrain is so rugged, there

are also fewer automatic weather stations.

If there are no sensors on the ground to

tell a computer what is happening at a

given moment, it cannot reliably predict

what could happen in the next hour.

That said, the IMD is currently working

on 'mesoscale', or 10-100 km scale, over

short-term alerts every few hours.

Under the government's new 'Mission

Muskan', India also plans to move from

double to radar networks, from the

current 40 x 40 km, and use it to better

predict hyperlocal events.

That said, even with the best

technology, a cloudburst is likely to

remain more difficult to predict than a

typical rainstorm.

- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III:** आपदा और आपदा प्रबंधन, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, और पूर्वानुमान अनुप्रयोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और भौतिक बुनियादी ढांचे के डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

10. कावेरी जल विवाद: सीडब्ल्यूएमए निर्देश, संकट प्रबंधन और संघीय गतिशीलता

मुख्य बातें और सारांश

- **सीडब्ल्यूएमए निर्देश:** कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) के उस आदेश का समर्थन किया जिसमें कर्नाटक को 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की आवश्यकता थी, जो लगभग 4.5 टीएमसी फीट है।
- **सीडब्ल्यूआरसी की भूमिका:** जल शक्ति मंत्रालय की 2018 की अधिसूचना के तहत गठित, सीडब्ल्यूआरसी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में आठ प्रमुख बेसिन जलाशयों में दैनिक जल स्तर, इनफ्लो और स्टोरेज की निगरानी करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के संशोधित पुरस्कार को लागू करता है।
- **संकट का आकलन:** घाटे की अवधि के दौरान निर्णय हाइड्रो-मौसम संबंधी स्थिति, जलाशय लाइव स्टोरेज, दीर्घकालिक 30-वर्षीय औसत और बिलिगंडुलु में मापे गए प्रवाह का विश्लेषण करके किए जाते हैं, जहां हालिया घाटा 90% तक पहुंच गया था।
- **राज्य की प्रतिक्रियाएं और असंतोष:** कम वर्षा और अपनी सिंचाई की जरूरतों के लिए पानी की कमी के कारण कर्नाटक ने आदेश का विरोध किया, जबकि तमिलनाडु ने अपनी कुरुबा और सांबा-थलादी कृषि आवश्यकताओं के लिए मात्रा को अपर्याप्त माना।
- **संकट सूत्र की आवश्यकता:** विशेषज्ञों और अधिकारियों ने आवर्ती अंतर-राज्यीय घर्षण को कम करने के लिए रिपेरियन (तटीय) राज्यों के बीच एक स्थायी, संस्थागत संकट-साझाकरण सूत्र विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **क्यूसेक:** पानी की प्रवाह दर की एक इकाई जो प्रति सेकंड बहने वाले पानी के एक घन फीट के बराबर होती है, जो मोटे तौर पर 28.317 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है।
- **टीएमसी फीट (TMC Ft):** हजार मिलियन क्यूबिक फीट, जलाशयों और नदी घाटियों में पानी की बड़ी मात्रा को मापने के लिए भारत में इस्तेमाल की जाने वाली एक मानक volumetric इकाई।
- **रिपेरियन स्टेट (तटीय राज्य):** वे राज्य जिनसे या जिनके साथ एक नदी प्रणाली गुजरती है, जल संसाधन प्रबंधन में साझा कानूनी और आर्थिक हित बनाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 262:** संसद को किसी भी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णय के लिए कानून द्वारा प्रदान करने का अधिकार देता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** राज्यों के बीच जल विवादों को हल करने के लिए तदर्थ न्यायाधिकरणों के गठन के लिए संसद द्वारा अधिनियमित प्राथमिक वैधानिक तंत्र।
- **सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का फैसला:** 2007 के कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम पुरस्कार को संशोधित किया, और बाध्यकारी जल विनियमन के लिए स्थायी संस्थागत निकायों के रूप में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) और CWRC की स्थापना की।

निष्कर्ष

कावेरी जल-बंटवारा पर आवर्ती घर्षण कम मानसून के दौरान अंतर-राज्यीय नदी घाटियों के प्रबंधन में संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है। जबकि सीडब्ल्यूआरसी और सीडब्ल्यूएमए जैसे संस्थागत तंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करते हैं, दीर्घकालिक सद्भाव के लिए सहकारी आम सहमति, अनुकूलित जल-उपयोग दक्षता और एक परस्पर सहमत संकट-साझाकरण सूत्र की आवश्यकता होती है जो अल्पकालिक राजनीतिक घर्षण से ऊपर उठता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II:** अंतर-राज्यीय संबंध, तंत्र, विवाद और संस्थागत निकाय; वैधानिक प्राधिकरणों के कार्य और जिम्मेदारियां और सहकारी संघवाद।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन, जल संसाधन उपयोग, और टिकाऊ नदी बेसिन शासन में चुनौतियां।

11. केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त चयन पैनल का बचाव किया: कार्यकारी विवेक बनाम न्यायिक जांच

मुख्य बातें और सारांश

- **सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बचाव:** केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 का बचाव किया, और प्रधानमंत्री के चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल करने पर जोर देने पर सवाल उठाया।
- **कार्यकारी विश्वास पर तर्क:** सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यदि प्रधानमंत्री के कार्यकारी निर्णयों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो निरंतरता की मांग होगी कि कैबिनेट मंत्री की नियुक्तियों पर सलाह देने के लिए भी एक बाहरी व्यक्ति या पूर्व न्यायाधीश की आवश्यकता हो।
- **तटस्थता पर न्यायिक चिंताएं:** न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निष्पक्षता के बारे में आशंका जताई, यह देखते हुए कि दो कार्यकारी सदस्यों और एक विपक्ष के सदस्य वाली समिति सत्ता को एक तरफ झुकाती है, जिससे तटस्थता से समझौता होता है।

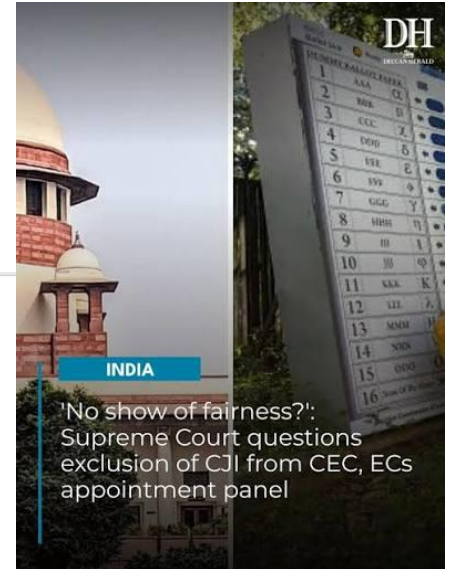
- **अनूप बरनवाल फैसले का संदर्भ:** याचिकाएं अनूप बरनवाल मामले में 2023 के संविधान पीठ के फैसले को कमजोर करने के लिए 2023 अधिनियम को चुनौती देती हैं, जिसने मूल रूप से पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई से मिलकर बने पैनल का प्रावधान किया था।
- **कोर संवैधानिक बहस:** कानूनी लड़ाई संस्थागत स्वतंत्रता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के केंद्र में है कि प्रमुख चुनावी नियामकों की नियुक्ति प्रक्रिया न केवल पदार्थ में निष्पक्ष रहे बल्कि जनता के लिए निष्पक्ष भी दिखाई दे।

आवश्यक परिभाषाएं

- **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC):** भारत के चुनाव आयोग के संवैधानिक प्रमुख जो संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- **शक्तियों का पृथक्करण:** एक केंद्रीय संवैधानिक सिद्धांत जिसके तहत सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां अधिकार के संकेंद्रण को रोकने और चेक एंड बैलेंस सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग निकायों में निहित होती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 324(2):** राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि संसद द्वारा उस संबंध में बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन हो।
- **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023:** वैधानिक अधिनियमन जिसने चयन समिति पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के साथ सीजेआई को बदल दिया, पैनल की संरचना को बदल दिया।
- **अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023):** एक संविधान पीठ का फैसला जिसने एक विधायी शून्यता को भरा, यह निर्देश देते हुए कि राष्ट्रपति द्वारा पीएम, विपक्ष के नेता और सीजेआई से युक्त एक समिति की सलाह पर सीईसी और ईसी नियुक्त किए जाएं, जब तक कि संसद ने एक ठोस कानून नहीं बनाया।



निष्कर्ष

सीईसी चयन पैनल के संबंध में चल रही कानूनी चुनौती कानून निर्माण में संसदीय संप्रभुता और संस्थागत स्वतंत्रता की गारंटी के लिए न्यायिक निगरानी के बीच नाजुक तनाव को उजागर करती है। लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखने के लिए चुनाव अधिकारियों की पूर्ण तटस्थता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, जिससे संतुलित नियुक्ति तंत्र भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II:** विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां; बुनियादी ढांचा सिद्धांत, शक्तियों का पृथक्करण, और विधायी अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा।

12. जेएंडके बैंक पैन-लिंगिंग जांच: प्रणालीगत अनुपालन विफलताएं और कर चोरी के जोखिम

मुख्य बातें और सारांश

- **आयकर जांच के निष्कर्ष:** एक व्यापक जांच से पता चला कि 2021 और 2024 के बीच जेएंडके बैंक के साथ 1.54 लाख खाते बिना किसी स्थायी खाता संख्या (PAN) विवरण को लिंक किए खोले गए थे।
- **विशाल वित्तीय मात्रा:** एक ही वित्तीय वर्ष में 15 लाख रुपये या उससे अधिक से जुड़े इन अनंतिम खातों में उच्च-मूल्य के लेनदेन कुल 4.88 लाख करोड़ रुपये थे।
- **अनलिंक खातों की श्रेणियां:** जांच में पहचान की गई कि इन खातों में से 32,498 सरकार से जुड़े संस्थान थे, जबकि 1.25 लाख निजी खाते थे, जिनमें 10,464 निजी खाते शामिल थे जिनके क्रेडिट 50 लाख रुपये से अधिक थे।
- **फॉर्म 60 के माध्यम से खामी:** इनमें से अधिकांश खाते अनिवार्य पैन आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए केवल फॉर्म 60 घोषणाएं जमा करके खोले गए बचत बैंक खाते थे, जिससे बड़े पैमाने पर प्रणालीगत कमजोरियां पैदा हुईं।
- **नियामक रिपोर्टिंग:** आयकर विभाग ने इस चूक को "प्रणालीगत विफलता" और कर चोरी के लिए एक महत्वपूर्ण लाल झंडा करार दिया, जिसमें बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अपनी अनुपालन रिपोर्ट सौंपी।

आवश्यक परिभाषाएं

- **स्थायी खाता संख्या (PAN):** वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी दस-अक्षर का अल्फान्यूमेरिक पहचानकर्ता।
- **फॉर्म 60:** आयकर नियम, 1962 के तहत निर्धारित एक घोषणा पत्र, जिसे उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है जिनके पास पैन नहीं है लेकिन वे निर्दिष्ट उच्च-मूल्य के वित्तीय लेनदेन करते हैं।
- **सिस्टमिक विफलता (प्रणालीगत विफलता):** किसी संगठन के आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन ढांचे या नियामक प्रोटोकॉल के भीतर एक टूटन जो व्यापक या दोहराए जाने वाले प्रोटोकॉल उल्लंघनों की अनुमति देती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **आयकर अधिनियम, 1961:** ऑडिट ट्रेल बनाए रखने और काले धन के उत्पादन को रोकने के लिए थ्रेशोल्ड सीमा से अधिक निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन के लिए पैन का हवाला देने और उसे जोड़ने को अनिवार्य बनाता है।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:** बैंकिंग कंपनियों पर ग्राहक पहचान सत्यापित करने, उच्च-मूल्य के लेनदेन की निगरानी करने और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) को संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए कड़े दायित्व लगाता है।
- **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग संचालन को विनियमित करने, वैधानिक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन पर दंडित करने और मजबूत आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र को अनिवार्य करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

जेएंडके बैंक खातों में पैन-लिंग्किंग की व्यापक चूक संस्थागत अनुपालन और नो योर कस्टमर (KYC) ढांचे में महत्वपूर्ण कमजोरियों को उजागर करती है। कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वित्तीय प्रणाली की रक्षा के लिए कड़े प्रवर्तन और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से ऐसे नियामक चूकों को संबोधित करना अनिवार्य है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों के संचय, विकास, वृद्धि और रोजगार से संबंधित मुद्दे; धन शोधन और काले धन के उत्पादन की रोकथाम।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II:** वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; वित्तीय शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता।

